



दक्षिण भारत राष्ट्रमत



தக்ஷிண பாரதத் ராஷ்ட்ரமதம் | தினமணி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 खेल मंत्रालय ने सही समय पर सही निर्णय किया: बबीता फोगाट

6 राममंदिर के प्राणप्रतिष्ठा समारोह को लेकर विपक्ष किर्करतव्यविमूढ

7 गुपचुप शादी कर चुकी हैं श्रुति हसन?

फ़र्स्ट टेक

अयोध्या जंक्शन का नया नाम अयोध्या धाम जंक्शन नई दिल्ली/वाता। भगवान श्री राम की नगरी के नाम से विश्व भर में मशहूर उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या धाम रखा गया है। रेलवे बोर्ड में निदेशक (वेगन इंटरचेंज) अजय कुमार नौलखा ने उत्तर रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक को बुधवार को लिखे आधिकारिक पत्र में यह जानकारी दी। पत्र के मुताबिक उत्तर रेलवे अंतर्गत लखनऊ रेल मंडल के अयोध्या जंक्शन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। पत्र में कहा गया है कि रेलवे स्टेशन कोड की श्रेणी में अयोध्या धाम जंक्शन का कोड पूर्ववत् 'एवाई' रहेगा।

रूस ने यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया मॉस्को/भाषा। रूस ने बुधवार को कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का स्थायी सदस्य बनने की भारत की आकांक्षाओं का समर्थन करता है। रूस ने जी20 शिखर सम्मेलन में विवादास्पद मुद्दों से निपटने में भारत की सफलता को सराहा और इसे उसकी विदेश नीति की सच्ची जीत करार दिया। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत लंबे समय से यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है और दुनिया की बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र में सुधार की जोरदार मांग कर रहा है। सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य ब्रिटेन, चीन, रूस, अमेरिका और फ्रांस हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यहां अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर के साथ बातचीत के बाद कहा, हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं।

महादेव ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर को दुबई में हिरासत में लिया गया मुंबई/रायपुर/भाषा। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तकों में से एक सौरभ चंद्राकर को दुबई में 'नजरबंद' किया गया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित कई भारतीय जांच एजेंसियां सलर्क हो गई हैं और उसे भारत लाने के लिए कूटनीति विकल्पों पर कार्य कर रही हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक, ईडी इस करोड़ों रुपये के धनशोधन के मामले में जल्द ही नया आरोपपत्र दायर कर सकती है। ईडी की सलाह पर इंटरपोल ने सट्टेबाजी और गैमिंग ऐप के एक अन्य प्रवर्तक रवि उज्ज्वल के खिलाफ रेड नोटिस (आरएन) जारी किया था, जिसपर कार्रवाई करते हुए उसे दुबई में स्थानीय अधिकारियों ने

देश में एसएचजी से जुड़ी दो करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना मेरा सपना है: मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com



भोपाल/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि वह देश में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी दो करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले में चल रही 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' के तहत विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के साथ वर्युअल बातचीत के दौरान, मोदी ने अपने प्रयास में एक महिला से मदद मांगी।

प्रधानमंत्री ने कहा, " मैं देश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दो करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना चाहता हूँ।" मोदी ने रुबीना खान नामक एक महिला से बात की और उससे पूछा कि क्या वह उनके प्रयासों में उनकी मदद करेगी। जब महिला ने विशेष रूप से पूछा गया कि वह अपने समूह की कितनी महिलाओं को लखपति बनाना चाहती हैं, तो महिला ने जवाब दिया, " मैं देश की हर महिला को लखपति बनाना चाहती हूँ।"

मोबाइल ऐप धोखाधड़ी : ईडी ने करीब 278 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली/भाषा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बताया कि मोबाइल फोन ऐप 'एस्पोजेड टोकन' के माध्यम से निवेशकों से कथित धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन के मामले में चीन से संबंध रखने वाली इकाइयों समेत विभिन्न इकाइयों की करीब 278 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। ईडी ने इससे पहले मामले में 176.67 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। संजीव एजेंसी ने एक बयान में कहा कि धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विभिन्न व्यक्तियों और चीन से जुड़े मुखौटा संस्थानों से संबंधित 278.71 करोड़ की धन और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क का आदेश जारी किया गया है।

मोदी हैं न्याय के प्रतीक, कांग्रेस सिर्फ अन्याय की पर्याय : अनुराग

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

नई दिल्ली/वाता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'न्याय यात्रा' को बेमानी बताया और कहा कि क्षेत्र एवं जातियों के नाम पर देश को बांटने वाले आज टुकड़े टुकड़े गंग के साथ न्याय का ढोंग करते हुए घूम रहे हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा व खेल मामलों के मंत्री ठाकुर ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की

'न्याय यात्रा' पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही। ठाकुर ने कहा, जो सदैव क्षेत्र और जाति के नाम पर देश को बांटते आए हैं वह न्याय क्या दिलाएंगे? जिनके राज्य में 84 के सिख दंगे हुए हैं और कई वर्षों तक न्याय न मिला हो वह क्या न्याय दिलाएंगे? वह तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार है जिसने सिख दंगों में एसआईटी की जांच बिठाई। कांग्रेस वह पार्टी है जो भगवान राम को काल्पनिक बताती है। इनके गठबंधन के दल हमेशा सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इनके नेता बार-बार एक से बढ़कर एक हल्के बयान देते हैं।

मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसरत आलम गुट) गैरकानूनी संगठन घोषित

नई दिल्ली/श्रीनगर/वाता। सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 3 (1) के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों तथा लोगों को भड़काकर वहां इस्लामिक शासन स्थापित करने को समर्थन देने में लिये हैं। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का संदेश एकदम स्पष्ट है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कानून के तहत कठोरतम सजा दी जाएगी।

यूजीसी ने छात्रों को आगाह किया : एमफिल मान्यताप्राप्त डिग्री नहीं

नई दिल्ली/भाषा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने बुधवार को यह कहते हुए विश्वविद्यालयों को एमफिल पाठ्यक्रम की पेशकश को लेकर आगाह किया कि यह मान्यताप्राप्त डिग्री नहीं है। उसने विद्यार्थियों को भी ऐसे पाठ्यक्रमों में दाखिले को लेकर आगाह किया। आयोग के सचिव मनीष जोशी ने कहा, "यूजीसी के संज्ञान में आया है कि कुछ विश्वविद्यालय एमफिल (मास्टर ऑफ फिलॉसफी) कार्यक्रम के लिए नये आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। इस संबंध में सभी के ध्यान में लाया जा रहा है कि एमफिल डिग्री मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है।" उन्होंने कहा, "यूजीसी (पीएचडी डिग्री के लिए न्यूनतम अर्हता एवं प्रक्रिया) नियमावली, 2022 का नियम 14 स्पष्ट रूप से कहता है कि उच्च शिक्षण संस्थान एमफिल कार्यक्रम में प्रवेश की कोई पेशकश नहीं करेंगे।" आयोग ने विश्वविद्यालयों को अकादमिक वर्ष 2023-24 के लिए किसी भी एमफिल कार्यक्रम में प्रवेश तत्काल रोक देने को कहा है।



जयशंकर ने रूसी समकक्ष से की मुलाकात, कहा-

भारत-रूस संबंध बेहद मजबूत, बेहद स्थिर

मॉस्को/भाषा। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत और रूस के बीच संबंध बेहद मजबूत, बेहद स्थिर हैं। उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात कर विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग, अंतरराष्ट्रीय सामरिक स्थिति, युद्ध और तनाव पर चर्चा की। पांच दिन की यात्रा पर रूस आए जयशंकर ने शुरूआती बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समय-समय पर एक दूसरे से बात करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं को जी20, संघर्ष सहयोग संगठन, आसियान, और ब्रिक्स जैसे मंचों के जरिए कई बार और नियमित रूप से एक दूसरे से बात करने का मौका मिला है। जयशंकर ने कहा, हमारे संबंध बेहद मजबूत, बेहद स्थिर हैं। और मुझे लगता है कि हम एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी पर खरे उतरते हैं। इस साल हम पहले ही छह बार मिल चुके हैं और यह सातवीं बैठक है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक के दौरान दोनों पक्ष विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेंगे, इसे बदलती परिस्थितियों और मांगों के अनुसार समायोजित करेंगे। उन्होंने कहा, हम अंतरराष्ट्रीय सामरिक स्थिति, संघर्ष और तनावों पर चर्चा करेंगे, साथ ही ग्लोबल साउथ के सामने आने वाली विकास संबंधी चुनौतियों और निश्चित रूप से बहुपक्षवाद व बहुधुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। 'ग्लोबल साउथ' शब्द का इस्तेमाल आम तौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। जयशंकर ने कहा कि इस साल दोनों पक्ष सहयोग की अलग-अलग अभिव्यक्तियों के गवाह बने।

करदाता कृपया ध्यान दें इस तिथि को न भूलें!

निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि है



जल्दी करें!

किसी भी विलंब से बचें। आज ही पूर्ण करें!

संशोधित विवरणी
यदि नियत तिथि को या उससे पूर्व दाखिल की गई मूल आयकर विवरणी में कोई भी गलती या चूक हो गई है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (5) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित आयकर विवरणी विलंब शुल्क के बिना 31 दिसंबर, 2023 तक ई-फाइल की जा सकती है।

सरल और सुरक्षित रूप से अपनी आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए www.incometax.gov.in पर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें

आयकर विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
अधिक जानकारी के लिए कृपया www.incometax.gov.in पर जाएं

28-12-2023 29-12-2023
सूर्योदय 5:51 बजे सूर्यास्त 6:29 बजे

BSE 72,038.43 (+701.63)
NSE 21,654.75 (+213.40)

सोना 6,567 रु. (24 केन्ट) प्रति बाण
चांदी 81,000 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी पत्रिका
epaper.dakshinbharat.com



केलाशा मण्डेला, मो. 9828233434

अयोग्य प्रतिनिधि
जनता जिनको योग्य समझती, वे अयोग्य घोषित विधि हाथ। किसको चुन करके भेजें हम, किसका देवे जनता साथ। एक बार जो वोट दे दिया, फूट गया अपना बस माथ। वीन प्रतिनिधि सबको यूँ लगता, हो गए जैसे सभी अनाथ।

